मध्यप्रदेश आंकड़ा भागिता और अभिगम्यता नीति
(State Data Sharing and Accessibility Policy)

1. प्रस्तावना

भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचना क्रमांक 11 भाग-1, दिनांक 17 मार्च, 2012 द्वारा राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता और अभिगम्यता नीति (National Data Sharing and Accessibility Policy-NDSAP) जारी की गई है। यह नीति भारत सरकार के सभी विभागों को, उनके द्वारा लोक निधि का उपयोग करके सीधे या भारत सरकार के विभिन्न अंगो द्वारा अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से सृजित, निर्मित, संगृहित और पुरालेखित आंकड़ों एवं सूचनाओं को योजना एवं विकास के लिए उपलब्ध कराने के लिए बाध्य करती है। मध्यप्रदेश ऑकड़ा भागिता और अभिगम्यता नीति (Madhya Pradesh National Data Sharing and Accessibility Policy - MPDSAP) को NDSAP के संगत प्रावधानों के साथ पढ़ा जाएगा।

2. उद्देश्य

इस नीति का उद्देश्य, भारत शासन एवं मध्यप्रदेश शासन की विभिन्न संबंधित नीतियॉ, अधिनियमों एवं नियमावली के दायरे के भीतर रहते हुए अग्रसक्रिय (Proactive) रूप से (Periodically) अद्यतन करने योग्य तरीके से पूरे देश से इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से, मनुष्य एवं मशीन द्वारा पाठन योग्य आंकड़ों और सूचनाओं की अभिगम्यता और पहुॅच को सुसाध्य बनाना है।

3. विषय क्षेत्र

मध्यप्रदेश आंकड़ा भागिता और अभिगम्यता नीति (Madhya Pradesh Data Sharing and Accessibility Policy) इस प्रकार निर्मित की गई है कि वे राज्य के विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों/एजेन्सियों द्वारा लोक निधि का उपयोग कर निर्मित डिजिटल या ऐनोलॉग प्रारूप में उपलब्ध सभी भागिता योग्य असंवेदनशील डाटा के लिए लागू हो सके। इस नीति की अभिकल्पना शासन के स्वामित्व वाले आंकड़ों की भागिता को बढ़ाने और अभिगम्यता को सक्षम बनाने हेतु की गई है ताकि उनका उपयोग नियोजन और विकास में हो सके।

4. <u>कार्यान्वयन</u>

a) इस नीति के तहत आंकड़ों की व्यापक प्रसार हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) द्वारा संचालित राष्ट्रीय आंकड़ा पोर्टल www.data.gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन के पोर्टल का उपयोग किया जायेगा।

b) इस नीति के कार्यान्वयन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नोडल विभाग होगा। NIC मध्यप्रदेश द्वारा इस कार्य में आवश्यक सहयोग किया जायेगा।

c) प्रत्येक विभाग इस नीति के कार्यान्वयन हेतु अपने बजट आवंटन के अधीन संसाधन उपलब्ध करायेगा।

d) इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DeitY) भारत शासन द्वारा जारी राष्ट्रीय क्रियान्वयन गाईड लाईन की तरह मध्यप्रदेश शासन का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भी विस्तृत कार्यान्वयन दिशा-निर्देश (गाईड लाईन) जारी करेगा।

e) इस नीति के अधिसूचित होने के छः माह के भीतर समस्त विभाग न्यूनतम तीन प्रमुख एवं उच्च महत्व के डाटासेट उपलब्ध करायेंगे। समस्त विभाग अपने समस्त उपलब्ध डाटा 1 वर्ष के भीतर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रयास करेंगे एवं उसके पश्चात समय-समय पर डेटा की उपलब्धता अनुसार नियमित रूप से अपलोड करेंगे।

f) अंतर सक्रियता सुनिश्चित करने हेतु NDSAP (National Data Sharing and Accessibility Policy) के मानदण्डों का पालन किया जायेगा। नोडल विभाग द्वारा नेशनल पोर्टल अनुसार, राज्य राज्य पोर्टल का विकास किया जायेगा।

g) इस नीति के प्रावधानों एवं कार्यान्वयन को सुगम रूप से लागू करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता और नोडल विभाग के प्रमुख संयोजकत्व में राज्य स्तरीय समिति गठित की जायेगी।

h) नागरिकों को समर्थ बनाने के दृष्टिकोण से सभी विभागों द्वारा इस नीति के तहत उपलब्ध कराये गये डाटा का प्रयोग करते हुये विभिन्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकास हेतु समुदाय को प्रोत्साहित किया जायेगा।